# <u>न्यायालय:—शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजङ्</u> <u>जिला—बङ्वानी (म०प्र०)</u>

आर.सी.टी. नंबर 188/2017 <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 656/2017</u> <u>संस्थित दिनांक 01.09.2017</u>

म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला—बड़वानी म०प्र० —————**अभियोगी** 

#### विरूद्ध

- कान्हा उर्फ कृष्णा पिता मालसिंह कोली आयु 21 वर्ष,
  निवासी दवाना थाना ठीकरी,जिला—बडवानी म0प्र0।
- पप्पु पिता चम्पालाल कोली, आयु ४० वर्ष,
  निवासी दवाना थाना ठीकरी जिला बडवानी म०प्र०।
- मालिसंह पिता गुलाब कोली, आयु 55 वर्ष,
  निवासी दवाना थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0।
- गुड्डु बाबा उर्फ परसराम पिता रामा कोली, आयु 42 वर्ष,
  निवासी दवाना थाना ठीकरी जिला बडवानी म०प्र०।

----अभियुक्तगण

राज्य द्वारा –	श्री श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ.।
अभियुक्त द्वारा –	श्री के0के0 सोनगरिया अधिवक्ता ।

#### -: नि र्ण य :--

#### (आज दिनांक 27.03.2018 को घोषित)

अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 324 / 34 का आरोप इस आधार पर है कि, उन्होंनें दिनांक 07.08.2017 को समय दिन के लगभग 03:00 बजे,स्थान आपने घर के सामने ब्राहम्णगांव फाटा दवाना में फरियादी नरेन्द्र को स्वैच्छया उपहति

#### //2// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 656/2017</u> संस्थित दिनांक 01.09.2017 आर.सी.टी. नंबर 188/2017

कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अनुसरण में अभियुक्त कान्हा ने नरेन्द्र को धारदार वस्तु कुल्हाडी मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की।

- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि,फरियादी नरेन्द्र व आहत् मोहन द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने के आधार पर अभियुक्तगण को भादसं० की धाराओं 294,323,323/34,506 भाग—2 के अपराधों से दोषमुक्त किया गया है, व धारा 324/34 भा.द.सं. का विचारण जारी रखा गया।
- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दि० 07.08.2017 को फरियादी व उसका साथी मोहन बलगांव रोड पर ढोर चरा रहे थे। तभी करीबन 3:00 बजे मालसिंह का जवाई शराब के नशे में आया व उससे बोला कि, मुझे घर छोड दो तो उसने बोला कि, तू जा हमको ढोर चराने दे, फिर मालसिंह का जवाई वहां से चला गया। ढोर चराने के बाद फरियादी व मोहन अपने अपने ढोर लेकर घर आ गये थे। फिर उसके घर पर पप्पु व गुड्डु बाबा आये और उसे बोले कि, तुझे व मोहन को मालसिंह घर पर बुला रहा है। फरियादी और मोहन दानो मालसिंह के घर पर गये तो मालसिंह अपने घर के बाहर खडा था, व बोला कि तुमने मेरे जवाई के साथ में विवाद क्यों किया। इतने मैं मालसिंह का लडका कान्हा हाथ में कुल्हाडी लेकर आया और उसे मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगा। उसने गालियां दने से मना किया तो मालसिंह के लड़के कान्हा ने उसे कुल्हाड़ी मारी जो उसे बाये तरफ आंख के उपर चोट लगी व खून निकलने लगा तथा पप्प ने उसे लकडी मारी जो उसे दायी व बायी भूजा पर चोट लगी। उसके साथी मोहन ने बीच बचाव किया तो उसको गुड़ड़ बाबा ने मां बहन की नंगी नंगी गालिया देकर लकडी मारी जो उसको दाहिने हाथ की भूजा पर चोट लगी तथा मालसिंह ने भी उन दोनों के साथ लात घुसों से मारपीट की। फिर यह लोग बोल रहे थे कि, आज तो बचे गये किसी दिन जान से खत्म कर देगें। फिर फरियादी मोहन तथा उसके अंकल बहादरसिंह को साथ लेकर थाना ठीकरी पर रिपोर्ट की। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध कं0 233/17 पंजीबद्ध किया। जप्ती पंचनामा बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, एवं सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तृत किया गया।
- 4. अभियोगपत्र के आधार पर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 294,323,323 / 34,324 / 34,506 भाग—2 भा.द.सं. का आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं०प्र०सं० के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होकर झूटा फंसाया जाना व्यक्त किया है,किन्तु बचाव में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये है।

### //3// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 656/2017</u> <u>संस्थित दिनांक 01.09.2017</u> आर.सी.टी. नंबर 188/2017

#### 5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 07.08.2017 को समय 3:00 बजे, स्थान अपने घर के सामने ब्राहम्णगांव फाटा दवाना में, सह अभियुक्त—गण के साथ मिलकर फरियादी नरेन्द्र को धारदार वस्तु से स्वैच्छया गंभीर उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में सह अभियुक्त कान्हा ने फरियादी/आहत् नरेन्द्र को कुल्हाडी से आंख पर मारकर स्वैच्छया उपहित कारित की?

## साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार

- 6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षीगण नरेन्द्र (अ.सा. 1),प्रतापसिंह (अ.सा.2) व मोहन (अ.सा.3) के कथन कराये है।
- 7. सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या घटना दिनांक को फिरियादी/आहत् नरेन्द्र (अ.सा.1) को चोटे कारित हुई। इस संबंध में विचार करने पर फिरायदी नरेन्द्र (अ.सा.1) के चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 07.08. 2017 को बचाव पक्ष द्वारा धारा 294 द.प्र.सं. के अंतर्गत स्वीकार किये गये है। अतः अभियुक्तगण की उक्त दस्तावेजों के संबंध में की गयी स्वीकारोक्ति एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र0पी0 1 जिसे नरेन्द्र (अ.सा.1)ने लिखायी है। उक्त रिपोर्ट में भी आहत् नरेन्द्र (अ.सा.1) को आयी हुयी चोटों का उल्लेख है। जिससे बचाव पक्ष ने कोई चुनौती नहीं दी है। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि, नरेन्द्र पिता तोताराम (अ. सा.1) को बायी आंख पर 1/4 x 1/4 इंच की चोट पायी गयी थी। जो की धारदार हथियार से 6 घंटे के भीतर पहुंचाना पाया गया। अतः खंडन के अभाव में आहत् नरेन्द्र (अ.सा.1) को धारदार हथियार से चोट आना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।
- 8. अब यह विचार किया जाना है कि, क्या अभियुक्तगण के द्वारा आहत् नरेन्द्र (अ.सा.1) को चोट कारित करने हेतु सामान्य आशय बनाया और सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त कान्हा ने फरियादी/आहत् नरेन्द्र (अ.सा.1) को धारदार वस्तु कुल्हाडी से मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित की। इस संबंध में विचार करने पर साक्षी फरियादी नरेन्द्र (अ.सा.1) व मोहन (अ.सा.3) ने अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। उक्त दोनो साक्षियों ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछने की अनुमित चाही, जिसे विचार उपरांत न्यायालय द्वारा प्रदान की

#### //4// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 656/2017</u> <u>संस्थित दिनांक 01.09.2017</u> आर.सी.टी. नंबर 188/2017

गयी, प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछने पर भी उक्त दोनो चक्षुदर्शी साक्षियों ने, जो कि स्वंय आहत् है, ने घटना का समर्थन नहीं किया है और इस कारण कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध अभिलेख पर नहीं है।

- 9. यह सही है कि,मोहन (अ.सा.3)एवं नरेन्द्र (अ.सा.1) ने अभियुक्तगण के साथ अन्य शमनीय धाराओं के अंतर्गत राजीनामा कर लिया है, और यही कारण है कि, वे अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं कर रहे है और इस कारण अभियोजन का प्रकरण पुष्टि योग्य नहीं है।
- 10. फरियादी साक्षी नरेन्द्र (अ.सा.1) व मोहन (अ.सा.3) ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है, व साक्षी प्रतापसिंह (अ.सा.2) ने अनुसंधान में की गयी कार्यवाही के संबंध में कथन किये है, चूंकि प्रकरण में आहत् स्वंय ने घटना का समर्थन नहीं किया है। विवेचना अधिकारी की साक्ष्य औपचारिक स्वरूप की श्रेणी में आ जाती है। अतः साक्षी नरेन्द्र (अ.सा.1) व मोहन (अ.सा.3) के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- 11. राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया हैं। ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण के फरियादी व आहत् साक्षी ने अभियुक्तगण से राजीनामा किया हैं तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी कथन नहीं किये है तो अभियुक्तगण के विरूद्ध भादसoं कीधारा 324/34 का अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता हैं।
- 12. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि, अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण कान्हा उर्फ कृष्णा पिता मालिसंह, पप्पु पिता चम्पालाल कोली, मालिसंह पिता गुलाब कोली, व गुड्डु बाबा उर्फ परसराम पिता रामा कोली, को धारा 324/34 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता हैं।
- 13. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 14. प्रकरण में जप्तशुदा दो बांस की लकडी एवं एक लोहे की कुल्हाडी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

## //5// आपराधिक प्रकरण कमांक 656/2017 संस्थित दिनांक 01.09.2017

अभियुक्तगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में भादस0ं की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही/-

सही/-

अंजड़, जिला बडवानी

(शरद जोशी) (शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़, जिला बडवानी